

FORM-1

(FOR LINEAR PROJECTS)
Government of Uttarakhand
Office at the district collector Champawat

No..823/

Date : 9-12-2015

To whom so ever it may concern

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.643** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Lok Nirman Vibhag, Champawat** (name of user agency) for **Construction of Birmola-Royal Motor Road motor road under state sector.**


(Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of **Birmola & Royal village(s) in Champawat Tehsil.**

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.643** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as **annexure 23 to annexure 23.2 total 04 pages.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Enclosure :- As above.

सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
 चम्पावत

Signature 
 जिलाधिकारी
 चम्पावत

(जे० एस० राठौर)
 (Full name and official seal of the District Collector)

अभिषासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
Dsitrict Champawat (U.K.)

No.823/

Date : 9-12-2015

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of right) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of **Champawat** district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss जे.एस.शर्मा P.S deputy commissioner Champawat on dated 9-12-2015 at time 12.A.M at Champawat in which application claiming rights in forest area measuring 2.643 Hect. for the **Constrution of Birmola-Rayal Motor Road in district Champawat.** forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Champawat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.


Place : Champawat

Dated :




जिलाधिकारी
चम्पावत

(जे.एस.शर्मा)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee


सहायक अधीक्षक
प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि
चम्पावत


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत


अधिक्षाता अधीक्षक
प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि
चम्पावत (प्रमाणित)


प्रान्तीय समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत
विरमोला-रायल मोर मार्ग का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पोलप
तहसील चम्पावत जिला चम्पावत
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत
के अन्तर्गत विरमोला-रायल मोर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (.....0.0.0.0.)

..... हे० आरक्षित वन भूमि 2.52..... हे० सिविल सोयम भूमि 0.00..... हे० वन पंचायत भूमि 0.00.....
हे०) अर्थात् कुल 2.643 हे० वन भूमि का चम्पावत विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोलप द्वारा दिनांक 4.11.2015 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम पोलप के वासियों को उक्त वन भूमि प्रत्यक्ष रूप से
चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई
आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
चम्पावत
ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान
ह० पोलप
वि० ख० चम्पावत
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 4-11-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बोलपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अर्जुन सिंह S/O श्री अनुप सिंह	अर्जुन सिंह
2	विश्व सिंह S/O श्री जोगा सिंह	विश्व सिंह
3	लक्ष्मण सिंह S/O	लक्ष्मण सिंह
4	राजेश्वर सिंह, पुत्री भूषणी देवी	महा सिंह
5	महा सिंह	दिवान सिंह
6	दिवान सिंह	महा सिंह
7	महा सिंह	पुष्पा देवी
8	पुष्पा देवी	माधव सिंह
9	माधव सिंह	जगत सिंह
10	जगत सिंह	नाव सिंह
11	नाव सिंह	रघुवर सिंह
12	रघुवर सिंह	ईश्वरी देवी
13	ईश्वरी देवी	खीमा देवी
14	खीमा देवी	रज्जी देवी
15	रज्जी देवी	गणेश सिंह
16	गणेश सिंह	कालू राम
17	कालू राम	गुमानी राम
18	गुमानी राम	रमेश राम
19	रमेश राम, पुत्री देवी	
20	नारायण राम	

(21) गिरिश राम धामी
(22) हरि राम
माधव सिंह

लक्ष्मण सिंह पुत्र नारायण सिंह बोलपुर

✓ गिरिश राम धामी
नंदकिशोर राय
N. S. N. M. K.
हरि राम
M. S. N. M. K.
नारायण सिंह

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत विरगोला - रापल मोटर मार्ग का नव निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्पावत
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्पावत

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत विरगोला - रापल मोटर मार्ग (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि 2.643 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.000 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.643 हे० वन भूमि) का प्रा. खण्ड लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्पावत) की दिनांक 4-11-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जे० एस० राठौर, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1- | श्री जे० एस० राठौर | उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री महिपाल सिंह सिन्हा | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री देवदत्त | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री गोशा जोशी | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के विरगोला से रापल मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.643 हे० वन भूमि

प्राप्तीय खण्ड लो० नि० वि० चम्पावत

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत विरसोला से रायला मोर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.643 हे० वन भूमि प्र० खण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्याक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील : चम्पावत
जनपद : चम्पावत

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील : चम्पावत
जनपद : चम्पावत

अध्यक्ष
उपजिलाधिकारी

रघुवीर सिंह
कलावती देवी
शश्वती देवी
मीना देवी
माधव सिंह
कुशा देवी
नारायण पोखरा